सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19(1) और 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील

सेवा में

दिनांक :- 16.09. 2021

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक
पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
उत्तरी क्षेत्र-3

विषय: सूचना अधिकार के तहत आवेदन संख्या – PGCIL/R/E/21/00341, (RTI) Act-2005 की धारा 19(1) और 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील |

पावर ग्रिड के जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से मैं सहमत नहीं हूँ। जिसके कारण निम्न हैं -

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	दी गई जानकारी	कारण सहित जानकारी से सहमत नहीं हैं
1.	कार्यालय आदेश संख्या:- 99/2021 संदर्भ संख्या:- क्षे.मु./मास./औअभि./2021 दिनांक 06.08.2021 में जिन 15 कर्मचारियों का स्थान्तरण किया गया है | वे सब अपने वर्तमान स्थान पर कब से तैनात हैं | सभी का पूर्ण विवरण दे ?	मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित हैं एवं किसी लोक-क्रियाकलाप या जनहित से सम्बन्धित नहीं रखता | अत: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)J के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती |	प्रश्न 1,4, व 5 मे जिस ट्रांसफर ऑर्डर का जिक्र हैं उसमे मेरा भी ट्रांसफर लखनऊ से पिथोरागढ़ हुआ हैं | मुझे लखनऊ से लगभग 18 माह के बाद ही ट्रांसफर किया हैं बाकी ऑर्डर मे शेष अधिकतम कर्मचारी अपने वर्तमान स्थान पर 5 वर्ष से 11 वर्ष पूर्ण किए हैं | और उनके पहले या दूसरे ट्रांसफर ही हैं | इस ट्रांसफर के साथ पावर ग्रिड ने मेरे 12 वर्ष की नौकरी मे 8 ट्रांसफर कर दिए हैं | RTI अधिनियम 7 (4) के तहत मुझे इस विषय मे सूचना मांगने का पूर्ण अधिकार हैं | दूसरा ये पावर ग्रिड के उन सभी कर्मचारियों के हित मे हैं जिन्होंने पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र-3 के ट्रांसफर पोरटल पर दिनांक 06.08.21 तक अपने वर्तमान स्थल पर 3 वर्ष पूरे करने पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया हैं ? जिस पर पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र-3 द्वारा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ हैं | और पावर ग्रिड प्रबंधन अपने ओफिसियल साइट के ट्रांसफर पोर्टल पर आई आवेदन को दर- किनार करते हुए मनमाने तरीके से ट्रांसफर आवेदन न करने वाले कर्मचारियों और सिर्फ वर्तमान स्थल पर 1 व 2 वर्ष पूर्ण होने पर ही, परेशान करने के लिए इधर उधर अनावश्यक ट्रांसफर किया जाता है | ट्रांसफर पोर्टल सिर्फ औपचारिकता के लिए हैं | और ट्रांसफर मे किसी भी पॉलिसी का पालन नहीं किया जा रहा हैं |
4.	पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र-3 के ट्रांसफर पोरटल पर दिनांक 06.08.21 तक कितने कनिष्ठ अभियन्ता व् तकनीशियन ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया हैं ? और किन किन स्थान पर स्थान्तरण माँगा हैं ? जिस पर पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र-3 द्वारा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ हैं ? कृपया पूर्ण विवरण दे ?		
5	पावरग्रिड के उत्तरी क्षेत्र-3 के ट्रांसफर पोरटल पर दिनांक 06.08.21 तक अपने वर्तमान स्थल पर 3 वर्ष पूरे करने वाले कितने कनिष्ठ अभियन्ता व् तकनीशियन ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया हैं ? और किन किन स्थान पर स्थान्तरण माँगा हैं ? जिस पर पावर ग्रिड उत्तरी क्षेत्र-3 द्वारा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ हैं ? कृपया पूर्ण विवरण दे ?		
3	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की स्थान्तरण नीति क्या है ? कृपया छायाप्रति संलग्न करे ? जिसके आधार पर पावर ग्रिड में/ ट्रान्सफर पोर्टल पर स्थान्तरण निर्धारित किया जाता हैं ?	कार्मिकों का स्थानतरण कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्मिकों की उपयुक्तता कार्मिकों की संख्या एवं अन्य कारणों पर निर्भर करता है |	किसी भी संस्थान/कंपनी या सरकारी तंत्र हजारों कर्मचारी नियुक्त होते हैं | प्रत्येक संस्थान/कंपनी या सरकारी तंत्र के सभी कर्मचारियों के सैलरी/भत्ते /सरकारी यात्रा / ट्रांसफर की एक पॉलिसी होती हैं जिसका प्रत्येक संस्थान/कंपनी या सरकारी तंत्र को पालन कराना होता हैं | जिसका उदेश्य कंपनी के सभी कर्मचारियों मे समानता होना होता हैं | प्राइवेट कंपनी मे भी एक निश्चित पॉलिसी होती हैं | फिर पावर ग्रिड तो भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी हैं | जिसमे ट्रांसफर की एक पॉलिसी अवश्य होगी | कार्य की आवश्यकता को बताकर कुछ कर्मचारियों को निशाना बनाकर हर 1 व 2 वर्ष मे ट्रांसफर कर दिया जाता हैं | और कुछ कर्मचारियों को एक ही स्थान पर 10 वर्ष पूरे करने पर भी ट्रांसफर नहीं किया जाता हैं | चाहे दोनों कर्मचारी एक कार्य से बद्धध भी हो | अत: पावर ग्रिड की ट्रांसफर पॉलिसी की छायाप्रति मांगी हैं | पावर ग्रिड के जन सूचना अधिकारी के अनुसार यदि"कार्मिकों का स्थानतरण कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्मिकों की उपयुक्तता कार्मिकों की संख्या एवं अन्य कारणों पर निर्भर करता है " तो यही बात लिखी ट्रांसफर पॉलिसी की छायाप्रति प्रेषित करे | पॉलिसी पावर ग्रिड के directors द्वारा निष्पादित होती हैं |जबकि जन सूचना अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी की छायाप्रति नहीं दी हैं |

भवदीय

16/09/21

अशोक कुमार

कर्मचारी संख्या-11233

मोबाईल संख्या-8299500936